

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2015/76

1. श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री हरसहाय मीणा, जाति-मीणा, आयु-42 वर्ष, निवासी-बडखेडा, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।

- वादीया-

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री सोन्या उर्फ सोहनलाल कौम-मीणा, निवासी ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर, जिला-जयपुर! (लैण्ड होल्डर)

-प्रतिवादी-

दावा इस्तकराहक, तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 जा0दी0

निर्णय -

दिनांक



पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 जा0दी0 पेश हुई। वक्त्रालय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित है कि :- दावा वादिया श्रीमती पांची देवी ने मूलतः यह अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है कि ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टयर भूमि सोन्या उर्फ सोहनलाल पुत्र महादेव मीणा की खातेदारी की भूमि थी जिसने दिनांक 04.08.1994 को एक मुख्तारनामा आम श्री शम्भूदयाल पुत्र प्रभातीलाल खटीक के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दिया जिसके आधार पर उक्त मुख्तारनामा शम्भूदयाल ने खसरा नंबर 212 का आधा हिस्सा 12 बिस्वा 32 वर्गगज दिनांक 07.10.2004 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादिया को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। वादिया ने पटवारी हल्का को राजस्व भू-अभिलेखों में अमल दरामद करने हेतु विक्रय पत्र सौंप दिया परन्तु उसने अमल नहीं किया और जब वादिया ने पटवारी से बात की तो उसने बताया कि सोन्या की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 12.08.2011 को कालूराम के नाम हो गया है और आपका नामान्तरकरण 32 वर्गगज अंकित होने की वजह से नहीं हो सकता इसलिये वादिया को दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। वादिया भूमि विवादग्रस्त में अपने 1/2 हिस्से की भूमि की हकदार घोषित कराने की अधिकारी है, इसलिये वादिया को भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टयर के 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर, तकासमा किया जावे और स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादिया ने वादपत्र में सोन्या उर्फ सोहनलाल पुत्र महादेव मीणा द्वारा दिनांक 04.08.1994 को जो मुख्तारनामा आम श्री शम्भू दयाल पुत्र प्रभातीलाल खटीक के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दिया जाना अंकित किया है वह मुख्तारनामा मात्र 12 बिस्वा 32 वर्गगज भूमि के लिये तहरीर किया गया और वादिया ने भी उक्त मुख्तारनामा शम्भूदयाल द्वारा खसरा नंबर 212 में से 12 बिस्वा 32 वर्गगज भूमि ही दिनांक 07.10.2004 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादिया को विक्रय करना अंकित किया है इस प्रकार भूमि खसरा नंबर 212 के 1/2 हिस्से का वादिया के पक्ष में कोई विक्रय पत्र होना खसरा वादिया ने ही अंकित नहीं किया है इस प्रकार वाद पत्र में कोई वाद कारण उल्लेखित ही नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी भी प्रावधान के तहत वादिया को भूमि विवादग्रस्त के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता इस प्रकार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी प्रावधान में नहीं आता ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत एक सहकृषक ही संयुक्त कृषि जोत का तकासमा करवा सकता है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमि विवादग्रस्त ना तो संयुक्त कृषि जोत है और ना ही वादिया सहकृषक है। वादिया ने वादपत्र में स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा है। धारा 188 के तहत कोई कृषक ही स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है। वादिया भूमि विवादग्रस्त की खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है। वादिया ने वादपत्र में जो अनुतोष चाहा है वे अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त किये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। वादिया ने वाद पत्र में कोई कारण उल्लेखित नहीं किया है। वादिया ने वाद पत्र में अपने आपको भूमि विवादग्रस्त खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से का (1) खातेदार घोषित किये जाने, (2) तकासमा किये जाने और (3) स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तृतीय परिशिष्ट के आईटम नंबर 5, 3 व 23 सी प्रत्येक अनुतोष हेतु 1-1 रुपये अर्थात् कुल तीन रुपये का न्याय शुल्क संलग्न करना आवश्यक होने के बावजूद भी वादिया ने मात्र दो रुपये का ही न्याय शुल्क अदा किया है इस प्रकार दावा आदेश 7 नियम 11(सी) के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये यह गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये वाद पत्र प्रतिवादी को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्ज व खर्च सहित निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत विधि द्वारा वर्जित होने तथा वाद पत्र वाद कारण उल्लेखित ना होने की वजह से विशेष हर्ज व खर्च सहित निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादिया ने दिनांक 07.10.2014 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा ग्राम दांतली खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा कय की जिससे खातेदारी के समस्त अधिकार वादिया के हक में निहित हो गये है जिससे वादिया को उक्त भूमि का विधिवत तकासमा करवाये जाने की अधिकारी है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विधिवत व प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया है प्रतिवादी ने उक्त प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है प्रतिवादी को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि अनावश्यक व तुच्छ व तंग करने की नियत से पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपर्कित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को मय हर्ज खर्च खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

बहस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रबली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत मुख्तयार नामा आदेश दिनांक 05.08.1994 जो खातेदार सोन्या पुत्र श्री महादेव मीणा के द्वारा शम्भुदयाल खटिक पुत्र श्री प्रभाती लाल खटिक के पक्ष में निष्पादित किया गया था जिसमें सोन्या पुत्र श्री महादेव ने स्वयं की आराजी खसरा नंबर 212 रकबा 12 बिस्वा 32 वर्गगज वाकै ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित का अंकन किया है। मुख्तयार नामा आम में कथन की खसरा नंबर 212 रकबा 12 बिस्वा 32 वर्गगज जमीन का में ही एकमात्र मालिक व काबिज हूँ। इसमें किसी का सीर व सांझा नहीं है। लेकिन वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेजात जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस दिनांकित 05.08.1994 का पेश नहीं किया है जिसमें खसरा नंबर 212 में रकबा 12 बिस्वा 32 वर्गगज का उल्लेख हो और सोन्या एकमात्र मालिक व काबिज हो। लेकिन प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अराजी खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि थी। उक्त दस्तावेज व वादीया के वादपत्र का अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्तयारनामा आम के समय खसरा नंबर 212 रकबा 12 बिस्वा 32 वर्गगज का कही उल्लेख हो। यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि वादिया ने अपने वादपत्र में खसरा नंबर 212 में आधा हिस्सा 12 बिस्वा 32 वर्गगज के लिए घोषणा चाही है जबकि खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर का आधा हिस्सा लगभग 9.27 बिस्वा बनता है जिससे भी वादी द्वारा प्रस्तुत कथन व वादपत्र व मुख्तयारनामा व विक्रय पत्र अस्पष्ट/संदेहहास्यपद प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तृतीय परिशिष्ट के क्रम संख्या 23सी के अन्तर्गत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय वादी को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि वादिया अपने विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2004 का दस्तावेज है और वादी ने वाद कारण उत्पन्न 20.08.2015 को उत्पन्न होना जाहिर किया है। इसलिए भी वादीया के अभिवचन के अनुसार भी वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी ने अपने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा गया है विक्रय पत्र के भिन्न अनुतोष चाहा है। इसलिए राजस्व न्यायालय को केवल मात्र पंजीकृत विक्रय पत्र के बाहर जाने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और वादिया ने विक्रय पत्र से बाहर जाकर अपने आप को उक्त

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

विवादग्रस्त भूमि का 1/2 का खातेदार होने का जाहिर किया है जबकि विक्रय पत्र में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिया जब तक विक्रय पत्र या मुख्तारआम को दुरुस्त नहीं करवा लेती वादिया को वाद लाने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन करने से ही जाहिर होता है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012(1) एस.एस.सी. 656 एवम् 2019 एस.सी. 5374 के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि किसी भी मुख्तारआम द्वारा कृषि भूमि के संबंध में विक्रय कि गई भूमि में किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपटित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

